रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1986/ज्येष्ठ 13, 1908
No. 220] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1986/JYAISTHA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

आदेश

का. आ 316 (अ)/18चक/18कक/आई डी आर. ए./86.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय के आदेश स का आ. 128(अ)/18चक/18कक/आई डी. आर. ए /73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियो के निकाय को (जिसे इसमे इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 मार्च, 1973 से पाच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशो द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 4 जून, 1986 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, की अग्रेतर अवधि के के लिए बढा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित मे यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था, जिसमे यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध तारीख 4 जून, 1987 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाए,

और उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 3 जून, 1986 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 4 जून, 1987 तक की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह तारीख 5 जून, 1986 से 4 जून, 1987 तक की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे।

[फा स 2(1)/80-मी यू एम.]
अ वि गोकाक, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd June, 1986

ORDER

S O 316(E)/18FA/18AA/IDRA/86.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive of 4th June, 1986.

And whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto 4th June, 1987.

And whereas the said High Court by its Order dated the 3rd June, 1986 permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period upto 4th June 1987

And now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18FA read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period from 5th June, 1986 to 4th June, 1987.

[F. No. 2(1)/80-CUS]

A V GOKAK, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986